

LLS

(4)

Sovereignty - part B-4 17

Q. लॉसदी के अनुसार सम्प्रभुत्व संप्रभुता सम्प्रभुता की व्याख्या —

राज्य का अध्यापन के लिए सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि में सम्प्रभुता का बहुत अधिक महत्व है। राज्य के चार तत्वों का उल्लेख किया जाता है — जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, संगठित सरकार और सम्प्रभुता। विचारकों की दृष्टि में राज्य के लिए सम्प्रभुता का बही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है।

सम्प्रभुता अंग्रेजी भाषा के 'Sovereignty' शब्द का हिन्दी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के 'Supremacy' शब्द से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति से है। इसके अनुसार एक सम्प्रभु राज्य वह है जो किसी अन्य राज्य की अधीनता में नहीं होता और अपने निश्चित भू-भाग में सर्वोच्च होता है। अर्थात् सम्प्रभुता के कारण ही राज्य आन्तरिक-दृष्टि से सर्वोच्च एवं बाह्य-दृष्टि से स्वतंत्र माना जाता है।

इंग्लैंड के 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक लॉसदी का सम्प्रभुता के सम्बंध में विचार बहुत बारीकी विचार

कहना है उन्होंने अपने ग्रन्थ
"The problem of Sovereignty"

"Authority in the Modern State",
& "Foundation of Sovereignty" में

बहुलवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते
हैं। बहुलवाद के विकास में आने के
द्वारा उनका कार्य किया है। ज्ञान-विज्ञान
की प्रगति ने पृथ्वी के एक हिस्से से
दूसरे हिस्से की दूरी कम कर विभिन्न
राज्यों को एक-दूसरे के काफी
निकट ला दिया। उनका कथन है
कि समाज के दायों को पूर्ण होना
के लिए उसे सहायक होना चाहिए।
उनका मत है कि सम्पत्ति का
का विचार व्यक्ति के विकास में
बाधक है व्यक्ति व तो साधन है
कारण न ही राज्य साध्य है।
व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं
की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैधानिक,
राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं
नैतिक अनेक प्रकार के समुदाय
का कार्य मनुष्य के
विकास के लिए यह
कि मानव जीवन के
सं सम्बंधित समुदायों
हस्तक्षेप से स्वतंत्र
र कार्य करने का

व्यक्ति
समुदाय
वादी

अवसर मिले। क्योंकि राज्य व्यक्ति की
पुजति तथा काल संतुष्टि का साधन
मान है तथा व्यक्ति का विकास
बहुमुखी होता है। व्यक्ति को अपने
विवेक के अनुसार व्यक्ति निर्धारित
करने का अधिकार होना चाहिए।
जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में
ही संभव है। " उन्होंने कहा है
कि " मैं " केवल उसी राज्य के
पति राज्य व्यक्ति और राज्य के
पति व्यक्ति और निष्ठा दरबत
इ उसी के कार्यों का पालन
करता है जिस राज्य में मेरा
नैतिक विकास होता है हमारा
प्रथम कर्तव्य अपने कर्तव्य
आंतरिक रूप से सच्चा रहना है।

लांस्की का मानना है कि राज्य की कानूनी
समुदायों की तरह एक समुदाय है
तथा इसके स्वरूप तथा अन्य समुदाय
के स्वरूप में कोई आधारभूत
अंतर नहीं है अतः व्यक्ति के हित
में किसी एक समुदाय या राज्य की
इच्छा अन्तिम नहीं हो सकती का
सामान्य इच्छा जैसा कोई व्यक्ति
नहीं हो सकती अतः व्यक्ति द्वारा
अज्ञाने जाये विभिन्न समुदाय
की अधिकारित सेवा तभी कर

सूक्तों हैं जब राज्य इनकी जाति विधि में
अनावश्यक दृष्टिकोण न करे
कार सीमित क्षेत्रों से संतोष करे।

इस प्रकार लॉसकी के बहुलवादी मत के
अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना
संस्कृत प्रभुता सम्पन्न राज्य में नहीं
संभव है। बहुलवादी व्यवस्था में ही
वैज्ञानिकीकरण पर आधारित है।

लॉसकी के अनुसार बहुत-सा प्रभुता
का सिद्धांत ही सर्वोच्च एवं
सर्वोच्च का जनक है। तथा विश्व
जाति के लिए संप्रभुता का त्याग
सर्व आवश्यकता है लॉसकी
डा. मानना है कि संप्रभुता असीमित
संप्रभुता का सिद्धांत मानना है
द्वारा से मेल नहीं खाता और
जिस प्रकार राजा को है ही
अधिकार समाप्त हो गई वैसे
ही राज्य की संप्रभुता भी
समाप्त हो जायेगी।

लॉसकी अन्य बहुलवादीयों की तरह
यह मानता है कि राज्य विधि
नहीं बल्कि विधि राज्य का
निर्माण करती है। राज्य का कार्य
सुरक्षित जीवन के राजनीतिक मुद्दों
पक्ष से सम्बन्धित है और

व्युत्पत्तियों के अनुसार अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए जिससे नान्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन का सभी पहलुओं का औपचारिक विकास कर सके।

लॉस्रो संप्रभुता के अमर्षाहित सिद्धांत को ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत मानते हैं। उनका कहना है कि इतिहास इस बात का उदाहरण है कि राज्य की संप्रभुता पर सर्वत्र अंकुश रखा है। इतिहास में एक भी शासक ऐसा नहीं है जो अमर्षाहित एवं नियंत्रित व्यक्ति से सम्पन्न रहे। तथा कृषि, नियंत्रित शासकों से भी देश की प्रजाओं, परम्पराओं, धार्मिक, निष्ठाओं एवं लोक मत का सम्मान करना पड़ा है। राज्य को भी असीमित व्यक्ति से सम्पन्न नहीं रहे है।

लॉस्रो के अनुसार अमर्षाहित का सिद्धांत आपवहति है इसकी व्यवहारिकता कांतरिक व्यक्ति गुण तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के विकास के कारण कम हो गई है उनका कहना है कि अतिसूक्ष्म इस सिद्धांत में राज्य का धर्म विधायी को

से-चंगुल से निकलने में आवश्यक
 भोजन दिया। किंतु वर्तमान समय
 में इस महत्व कम हो चुका है।

आलोचना -

लॉस्की की संप्रभुता सम्बन्धी विचारों
 की काफी आलोचना हुई है तथा
 आलोचकों द्वारा कहा गया कि
 बहुलवादी का लार्डिक विरुद्ध
 अराजकता है इससे समाज में
 कानून विहीन की स्थिति उत्पन्न
 हो जायेगी। आलोचकों ने लॉस्की
 की संप्रभुता विचार के विरुद्ध
 आक्षेप लगाये हैं।

① लॉस्की का संप्रभुता विचार
 समाज में आवश्यकता एवं
 अराजकता को जन्म देता है
 यदि लॉस्की के तर्कों को स्वीकार
 कर लिया जाये तो यह अवस्था
 एवं प्रगति के स्थान पर
 सर्वोच्चता का हावा उठने वाले
 कानून समुदायों को जन्म
 दे कर समाज को विखण्डित
 कर देगा।

② लॉस्की कहता है कि संप्रभुता एवं
अन्तर्राष्ट्रीयता में सामंजस्य
कठिन है। किन्तु वास्तव में
राष्ट्रीयवाद एवं सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय
साथ साथ चल सकते हैं।

③ संप्रभुता को विकेंद्रीय विकेंद्रीत
या विभक्त करने का कार्य उसे
नष्ट कर देना है यदि राज्य
संप्रभुता नहीं है तो वह विभिन्न
समुदायों के परम्परागत परम्पारिक
सम्बन्ध को रिपर नहीं कर सकता।

④ वर्तमान समय में लोक कल्याण
-कारी राज्य की आवश्यकता ने
राज्य की जातिविधियों एवं उसके
निष्ठा में आधाधिक्य बृद्धि
कर दी है जिससे लॉस्की का
विचार खण्डित हो जाता है।

इस सम्बन्ध में आर्थीवाल्फ
ने बडुलवाफ की आलोचना करते
हुए लिखा है "एक ऐसे सिद्धांत
का रूप में जो संप्रभुता के
परम्परागत विचारों की जातियों
को ठीक करता है और जिसकी
वृत्तियों को ठीक करता है।
बडुलवाफ एक महावृत्त सिद्धांत

परन्तु जब वह संप्रभुता के सिद्धांत
को उखाड़ फेंकने का
प्रयत्न करता है तब यदि व्यर्थ
ही ना रक्तपात का अवश्य हो
जाता है। उदा. जावा है। डि
मुल्काफ अन्तरविरोधी से भ्रष्ट
गया हुआ है। वे संप्रभुता को
समान के द्वार से बाहर
निकाल कर पीछे के द्वार से
ले जाते हैं।

इन का पहला कै बवाजूद भी
गंस्की की विचार महत्वपूर्ण एवं
मूल्यावान है। उसने का धुनिव
समाज में समुदिक जीवन की
सहना पर बल दिया। तथा
निराकुश राज्य के विरुध लोड-
नानिक एवं विकेन्त्रीत व्यवस्था
का समर्थन दिया। उसने मानव
समुदायों की स्वयतः व्यक्ति की
स्वतन्त्रता का, व्यक्ति की
खी गरिमा में विश्वास दिया।

— X —